


अतः वादा का वाद डिकी किया जाकर निम्न प्रकार आदेश दिया जाता है .

वर्तमान प्रविष्टि	आदेशित शुद्ध प्रविष्टि
रामकुमार पुत्र रामनारायण	रामकुमार उर्फ रामकुमार पुत्र रामनारायण

क्र. 62/18
23/5/18

उपरोक्त डिकी अनुसार तहसीलदार के रेखांक
को राजस्व रिकार्ड में अमल दरावद हेतु लिखा जावे।


सहायक कलेक्टर / उपखण्ड मजिस्ट्रेट,
सांभर-लेक (जयपुर)